प्रार्थना पत्र

मो. सलीम पुत्र अब्दुल अजीम v/s मो. हुसैन s/o अली मो

प्र. सं. 108/2019 onlineNo. 2019/0009

6/11/23 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 15/1/24 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

15/1/24 पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 11/3/24 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

11.03.2024 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पालडी के आराजी संख्या 1160 से लगायत 1164 कुल किता 05 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित होकर राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के पिता व विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता अब्दुल अजीम ने व विपक्षी संख्या 01 द्वारा उपरोक्त आराजियात का पारिवारिक बटवारा किया जिसमें प्रार्थीगण के पिता के हिस्से में आराजी संख्या 1163 व 1164 तथा विपक्षी संख्या 1160, 1161, 1162 रखी जाकर पांच रूपये के स्टाम्प पर ईकरार पारिवारिक बटवारे का दिनांक 31.03.1979 को निष्पादित किया गया। प्रार्थीगण के पिता व विपक्षी संख्या 01 उक्त बटवारे के अनुसार उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के पिता अब्दुल अजीम का दिनांक 9 जनवरी 2014 को देहान्त हो गया, लेकिन राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम अब्दुल अजीम के बजाय अब्दुल अजीज दर्ज कर दिया गया अब्दुल करीम का विरासत से नामान्तकरण संख्या 219 दिनांक 13.5.1982 से प्रार्थीगण के पिता का नाम अब्दुल अजीम दर्ज किया गया लेकिन जमाबन्दी में अब्दुल अजीज दर्ज कर दिये जाने से प्रार्थीगण के नाम विरासत का नामान्तकरण नही खुल सका, विपक्षी संख्या 01 उपरोक्त आराजियात का बिना बटवारा करवाये उक्त भूमि को रहन विक्रय हस्तानान्तरण करने पर आमादा हे जिससे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि उक्त भूमि को विपक्षी संख्या 01 द्वारा अन्य को विक्रय कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण का इस आराजी से संबंधित एक वाद पृथक से जैरकार हे प्रार्थीगण के पिता का नाम अब्दुल अजीज के बजाय अब्दुल अजीम इन्द्राज करने के आदेश जारी करने में समय लगने की सम्भवना है जिससे वादग्रस्त आराजियात के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु जारी करना न्यायोचित है। विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत नही करने से विपक्षी संख्या 1 जवाब दिनांक 28.09.2022 को बन्द किया गया। उपरोक्तानुसार विवेचन अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम अब्दुल अजीम के बजाय अब्दुल अजीज दर्ज कर दिया जबकि अब्दुल करीम के विरासत में प्रार्थीगण के पिता का नाम अब्दुल अजीम पिता अब्दुल करीम जरिये नामान्तकरण संख्या 219 दिनांक 13.05.1982 से दर्ज हुआ प्रार्थीगण के पिता का नाम अब्दुल अजीज के बजाय अब्दुल अजीम दर्ज किया जाना प्रथम प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। जिससे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होने से एवं सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने से एवं वादग्रस्त आराजियात संयुक्त खाते की होने से विपक्षी संख्या 01 द्वारा बिना विभाजन कराये विक्रय करने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर ग्राम पालडी के आराजी नम्बर 1160 से 1164 कुल किता 05 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा भूमि के संबंध में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरूद्व मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं पंजीयन नही करने हेतु जारी की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा